तत्पश्चात समिति द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा–परिचर्चा हुई। चर्चा उपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:–

क्र०सं०	बिन्दु	निर्णय
1	नसबन्दी के समय लाभार्थी गर्भवती होने की सम्भावना है, से सम्बन्धित बहुत सारे दावा प्रपत्र प्राप्त होते है, ऐसे दावा प्रपत्रों मे क्या निर्णय लिया जाना चाहिये।	▪ यदि लाभार्थी को नसबन्दी प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा सहमति प्रपत्र में यू०पी०टी रिपोर्ट निगेटिव आया है तो अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट/ओ०पी०डी० पर्चा/ ए०एन०सी० कार्ड आदि के आधार पर लाभार्थी को संदेह का लाभ देते हुये क्षतिपूर्ति धनराशि दिया जाये। ▪ अगर सहमति प्रपत्र में यू०पी०टी० रिपोर्ट अंकित नही है तो ऐसी स्थिति में जनपद को दावा प्रपत्र इस आशय से वापस किया जाये कि लाभार्थी के उस समय किये गये यू०पी०टी० जॉच का परिणाम क्या था, साक्ष्य प्रस्तुत करे।
2	कई बार लाभार्थी मात्र जन्म प्रमाण पत्र(बच्चा/बच्ची होने के बाद) के आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग करते है, ऐसे दावा प्रपत्रों मे क्या निर्णय लिया जाना चाहिये।	वे लाभार्थी जो केवल जन्म प्रमाण पत्र(बच्चा/बच्ची होने के बाद) के आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग करते है, उनसे गर्भधारण के साक्ष्य(ओ०पी०डी० पर्चा/ए०एन०सी० कार्ड/अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट) मांगे जाये तथा उनसे गर्भधारण की पुष्टि के 90 दिन के भीतर दावा प्रस्तुत किया है अथवा नही, इसका प्रमाण मांगा जाये।
3	कई लाभार्थी असफल नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन के बाद क्लेम करते है, ऐसे दावा प्रपत्रों मे क्या निर्णय लिया जाना चाहिये।	वे लाभार्थी जो असफल नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन के बाद क्लेम करते है, ऐसे दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत कर उन्हे वापस प्रेषित किया जाये।